तृतीय सत्र, 2003 की
कार्यसूची

उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार, 27 अग्रहायण, शक संवत्, 1925
(दिनांक : 18 दिसम्बर, 2003)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. शुभारम्भ "वन्दे मातरम्" (देखिये नत्थी "क")।

2. प्रश्न (देखिए नत्थी "ख")।

3. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी "ग")।

4. मुख्य मंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद -151 के खण्ड (2) के अधीन 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) उत्तरांचल सरकार का शुद्धि पत्र सदन के पटल पर रखेंगे।

5. मुख्य मंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन वित्तीय वर्ष 2001-2002 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे उत्तरांचल सरकार का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

6. मुख्य मंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे (9 नवम्बर, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक) उत्तरांचल सरकार का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

7. मुख्य मंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन वित्तीय वर्ष 2000-2001 के विनियोग लेखे उत्तर प्रदेश सरकार (1 अप्रैल, 2000 से 8 नवम्बर, 2000 तक) का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

8. मुख्य मंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-323 के खण्ड (2) के अधीन उत्त[illegible] लोक सेवा आयोग का प्रथम सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 2002 को सदन के पट[illegible] रखेंगे।

9. पंचायती राज मंत्री, उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखेंगे।

10. राजस्व मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखेंगे।

11. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखेंगे।

12. तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखेंगे।

13. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखेंगे।

14. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

(1) उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जून, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 जून, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जून, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 जून, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

(3) पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जून, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 जुलाई, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

(4) इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जून, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 जुलाई, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का सोलहवां अधिनियम बन गया।

(5) हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जून, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 जुलाई, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

15. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

16. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोड़ी पाली के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री हयात सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

17. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ में जूनियर हाईस्कूल नैनी-सैनी उच्चीकरण कर हाईस्कूल बनाने के सम्बन्ध में" श्री उम्मेद सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

18. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ में रई - चटकेश्वर झील के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री तुलसा दत्त शर्मा एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

19. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ के जूनियर हाईस्कूल हिमतड़ विकास खण्ड विण के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री लाल सिंह शास्त्री एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

20. श्री कैलाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा, "जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लमगड़ा की पट्टी विशौद में राजकीय चिकित्सालय खुलवाने के सम्बन्ध में" श्री आनन्द सिंह फर्त्याल एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

21. श्री सुरेश चन्द्र जैन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार, रुड़की में हवाई पट्टी बनाने के सम्बन्ध में" श्री शशि सैनी एवं अन्य निवासीगण, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

22. श्री सुरेश चन्द्र जैन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार, रुड़की में कृषि निर्यात जोन बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री आलोक गुप्ता एवं अन्य निवासीगण, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

23. श्री सुरेश चन्द्र जैन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार, रुड़की में नई मण्डी से पुराने हरिद्वार रोड (कलियर रोड) तक बाई पास बनाने के सम्बन्ध में" श्री संजय नागपाल एवं अन्य निवासीगण, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

...4/...

24. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत स्थान सिलोगी में पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सुरमान सिंह भण्डारी एवं अन्य निवासीगण, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

25. श्री कैलाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा, "जनपद अल्मोड़ा में कौसानी, भगतोला, कटारमल, दौलाघाट क्षेत्र में पेयजल के सम्बन्ध में" श्री गिरीश शर्मा एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

26. श्री कैलाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा, "जनपद अल्मोड़ा में रा०उ०मा० विद्यालय मुल्यूटा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री जोगा राम आर्य एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

27. श्री फूल सिंह बिष्ट, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध प्रभावित क्षेत्र से विकास खण्ड प्रताप नगर के आंशिक डूबक्षेत्र के ग्रामों को जोड़ते हुए मुंगराली से कंसाली तक 10 कि०मी० मोटर मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री खेम सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

28. श्री फूल सिंह बिष्ट, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल की ग्राम पंचायत कोटया में उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में" श्री सैन सिंह पंवार एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

29. श्री फूल सिंह बिष्ट, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर विधान सभा क्षेत्र मोटणा में ऐलोपैथिक औषधालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में" श्री खेम सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

30. श्री फूल सिंह बिष्ट, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रताप नगर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री चैत सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

31. श्री फूल सिंह बिष्ट, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध झील के कारण पट्टी रैका के अतिसंवेदनशील ग्रामों का भू-वैज्ञानिकों द्वारा सर्वेक्षण कराने जाने के सम्बन्ध में" श्री खेम सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

32. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट स्थित पव्वाधार जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में" श्री रणजीत राम एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

...5/...

33. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोड़ी पाली का उच्चीकरण कर इण्टरमिडिएट की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में" श्री हयात सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

34. श्री कैलाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा, "जनपद अल्मोड़ा धौलादेवी विकास खण्ड से 6 (छ) ग्राम सभाओं को लमगड़ा विकास खण्ड में मिलाने के सम्बन्ध में" श्री बालक सिंह कपकोटी एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

35. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत देवलथल तहसील के सृजन किये जाने के सम्बन्ध में" श्री कैहरी सिंह सामन्त एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

36. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

37. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

38. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

39. सचिव, विधान सभा "संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 की प्रति उक्त संविधान संशोधन विधेयक पर लोक सभा तथा राज्य सभा में हुए वाद-विवाद की प्रति सहित सदन के पटल पर रखेंगे।

40. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा० अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"घ")

41. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

42. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

43. कृषि मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

44. कृषि मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

...6/...

45. पंचायती राज मंत्री, उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

46. पंचायती राज मंत्री, उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

47. तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

48. तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

49. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

50. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

51. पंचायती राज मंत्री, उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

52. पंचायती राज मंत्री, उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

53. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

54. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

55. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

56. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

57. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

58. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

59. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

60. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

61. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

समय-अपराहन् 3 : 00 बजे

62. मुख्य मंत्री वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करेंगे।

63. श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल, निर्धन वर्गो के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।"

64. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत 16 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य के अर्न्तराष्ट्रीय सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पृथक कार्य योजना बनाना अत्यावश्यक है।"

65. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादूनः
दिनांक : 18 दिसम्बर, 2003

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

(क)

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

तृतीय सत्र, 2003
का प्रथम गुरूवार

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार, 27 अग्रहायण, शक संवत्, 1925

(दिनांक : 18 दिसम्बर, 2003)

नत्थी (ख)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित स्थगित प्रश्न

श्रीमती विजय बड़थ्वाल 21.05.2003	*1. क्या उद्यान मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की अपार सम्भावनायें हैं? यदि हाँ, तो क्या पर्वतीय क्षेत्र मे रेशम उद्योग में ग्रामीणों की भागीदारी के लिए सरकार ने कोई नीति बनाई है? यदि हाँ, तो इसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्रीमती आशा नौटियाल 24.05.2003	*2. क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के ग्राम प्रधानों से परिवार रजिस्टर व अन्य दस्तावेज रखने के अधिकार वापस ले लिये गये हैं? क्या जनता की असुविधा को ध्यान में रखा गया है? क्या प्रत्येक ग्रामसभा में सरकार एक-एक पंचायत मंत्री नियुक्त करने जा रही है? यदि हाँ तो कब तक?	पंचायती राज

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न

श्रीमती विजय बड़थ्वाल 01-09-2003	*1. क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान में प्राथमिक बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बदला गया है? यदि हाँ तो पाठ्यक्रम बदले जाने के क्या कारण हैं?	शिक्षा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 01-09-2003	*2. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति मानक के आधार पर करने की सरकार की कोई कार्य योजना है? यदि हाँ तो कब तक उक्त योजना प्रदेश में लागू हो जायेगी?	शिक्षा
श्री प्रकाश पन्त 03-09-2003	*3. क्या शिक्षा मंत्री बतायेगें कि शिक्षा विभाग के अपर निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. ने पत्रांक 1763-79/पु0सं0/2003-04 दिनांक 16 जून, 2003 द्वारा सत्र 2003-04 हेतु कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें क्रय करने हेतु समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया था। यदि हाँ तो किन-किन प्रकाशकों की पुस्तकें क्रय किये जाने की संस्तुति किस मानकानुसार की गयी? क्या प्रकाशकों के चयन में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों नहीं?	शिक्षा
श्री मदन कौशिक 06-09-2003	*4. क्या ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने एवं बुनकरों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनायी गयी है? यदि हाँ तो उसकी रूपरेखा क्या है और योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?	ग्रामोद्योग
श्री मालचन्द 11-09-2003	*5. क्या उद्यान मंत्री भिज्ञ हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात की असुविधा एवं बरसात के समय काश्तकारों एवं उद्यानपतियों के नगदी एवं व्यापारिक फसलें जैसे, सेब, नाशपाती, बादाम, टमाटर आदि को मण्डी तक पहुँचाने में काफी समय लग जाता है जिसके कारण काश्तकारों एवं उद्यानपतियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु बड़कोट, नौगाँव, पुरोला, मोरी, आराकोट, इुन्डा, चिन्यालीसौड़ एवं उत्तरकाशी में शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज) की स्थापना करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	उद्यान

श्री बलबीर सिंह नेगी 11-09-2003 श्री मातबर सिंह कण्डारी 16-09-2003	*6. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002-2003 में कितनी धनराशि के, कम्प्यूटर, प्रदेश के रा0 इण्टर कालेजों के लिए खरीदे गये तथा कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कितने प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किये गयें?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 15.09.2003	*7. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के प्राथमिक विद्यालय मोरगी व नौगाँव के प्राथमिक विद्यालय त्रिखली में 15.8.03 को ध्वजारोहण किया गया था? यदि नहीं, तो कार्यरत शिक्षकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
काजी निजामुद्दीन 20.09.2003	*8. क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल के वित्तीय वर्ष 2002-03 में खादी एवं ग्रामोद्योग की सहायता से कितने और कौन-कौन से उद्योग स्थापित हुए? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए विभाग द्वारा कितने नये उद्योग स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?	ग्रामोद्योग
श्री अजय भट्ट 22.09.2003	*9. क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या अपमिश्रण संबंधी खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में सक्षम अधिकारियों की पर्याप्त संख्या है? यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रथम सोम के तारा.प्र. 12 में स्था.
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 08-09-2003	*10. क्या उद्यान मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में कितने कोल्ड स्टोर कृषकों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए संचालित किये जा रहे हैं तथा जनपदवार इनकी संख्या कितनी है? क्या सरकार प्रदेश में और कोल्ड स्टोर खोलने पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो इस दृष्टि से किन स्थानों का चयन अथवा सर्वेक्षण किया गया है? यदि नहीं तो क्यों?	उद्यान
श्री हरबंस कपूर 27.11.2003	*11. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में एल.टी. शिक्षकों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं को लेकर कोई जाँच समिति गठित की गयी है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है? यदि हाँ, तो क्या जाँच समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	शिक्षा

अतारांकित प्रश्न

श्री मदन कौशिक 01-09-2003 श्री बलबीर सिंह नेगी 15-09-2003	1. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विशिष्ट बी0टी0सी0 हेतु प्रत्येक जनपद को कितनी-कितनी सीटें दी गयी हैं? जनपदों में सीटों के आवंटन हेतु कोई नीति बनायी गयी है? यदि हां तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री नारायण राम आर्य 02-09-2003	2. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रा0इ0कालेज, चहज तथा चौरपाल, जिला पिथौरागढ़ में प्रवक्ताओं तथा अध्यापकों के कुल कितने पद कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों पर कब तक तैनाती कर दी जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्रीमती आशा नौटियाल 02-09-2003	3 क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जड़ी-बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग में किन-किन स्थानों पर जड़ी-बूटी उत्पादन का कार्य किया जा रहा है तथा कौन-कौन सी प्रजाति की पौध तैयार की जा रही है? क्या विभाग द्वारा किसानों को उत्पादन की जानकारी समय पर दी जा रही है? यदि नहीं तो क्यों?	उद्यान
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 02-09-2003	4. क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल में सन् 2000-2001 एवं 2001-2002 में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों के भवन पूर्ण बन चुके है? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 02-09-2003	5. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के कितने राजकीय एवं कितने अशासकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर लगाये गये हैं? क्या सभी विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षक रखे गये हैं? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री अनिल नौटियाल 02-09-2003	6. क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के दूरस्थ पहाडी क्षेत्रों में स्थित अनेकों माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार जनपद चमोली में रा0इ0कालेज बछुवाबाण, मेहलचोरी, कुनीगाड़, रोहिड़ा, सलिवाणा, देवलकोट, नैणी, सिदोली, केदारखाल एवं रा0उ0मा0विद्यालय घादियाल सलियाणा, गैरोली, चोरासैण, नैल विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कब तक सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री अजय भट्ट 02-09-2003	7. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ''सर्व शिक्षा अभियान'' के अन्तर्गत स्वीकृतियां जारी करने के सरकार द्वारा क्या मापदण्ड अपनाये हैं? अल्मोड़ा जिले के अन्तर्गत ''सर्व शिक्षा अभियान'' के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से आज तक कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है?	शिक्षा

श्री प्रकाश पन्त 03-09-2003	8. क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ के कितने इण्टरमीडिएट तथा हाई स्कूल विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार इस शैक्षणिक वर्ष में सभी विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री हरभजन सिंह चीमा 03-09-2003	9. क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगें कि शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों को नियोजित किए जाने हेतु आवेदन की समय सीमा 5 वर्ष कर दी गई है? यदि हाँ तो क्या सरकार 5 वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन न कर पाने वाले मृतक आश्रितों को सेवा का अवसर नहीं देगी? यदि नहीं तो 5 वर्ष से अधिक के आश्रितों को रोजगार दिए जाने हेतु सरकार की कोई योजना है?	शिक्षा
श्री अजय भट्ट 03-09-2003	10. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयो में कुल कितने भवनहीन विद्यालय चल रहे हैं तथा जिलेवार इनकी संख्या कितनी है? क्या सरकार इन भवनहीन विद्यालयों के निर्माण की कोई योजना बना रही है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री अजय भट्ट 03-09-2003	11. क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि 6 अगस्त, 1993 के बाद प्रधानाचार्यों के नियमितीकरण के कितने मामले प्रदेश में लम्बित हैं? इनके आज तक विनियमित न होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार इन प्रधानाचार्यों को विनियमित करने जा रही है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री अजय भट्ट 03-09-2003	12. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की अवकाश प्राप्त करने की उम्र 60 वर्ष है? क्या यह भी सत्य है कि यदि कोई अशासकीय विद्यालय का अध्यापक 60 वर्ष तक नौकरी करने का विकल्प दे तो ग्रेच्यूटी देय नहीं है? यदि हाँ तो ऐसे भेदभाव का क्या कारण है? क्या सरकार शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों के अवकाश प्राप्ति के लाभों एवं नियमों में एकरूपता लाने जा रही है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री काशी सिंह ऐरी 03-09-2003	13. क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में रा0इ0का0 चौरपाल कब उच्चीकृत हुआ और इसके भवन निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरण कब से लम्बित है? जिला विद्यालय निरीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल को अब तक कब-कब और कितने अनुस्मारक भेजे गये? उक्त वन भूमि हस्तान्तरण में हुये विलम्ब के क्या कारण रहे हैं और इसके लिए कौन दोषी है तथा कब तक भूमि हस्तान्तरण एवं भवन निर्माण पूरा हो जायेगा?	शिक्षा

श्री मातबर सिंह कण्डारी 03-09-2003	14. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने जू0 हा0 हाई स्कूल एवं कितने बेसिक पाठशालाऐं भवन विहीन हैं? क्या सरकार इन विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य करवायेगी? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री अनिल नौटियाल 03-09-2003	15. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में इस वित्तीय वर्ष में सरकार कितने प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज खोलने का विचार कर रही हैं? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री अनिल नौटियाल 03-09-2003	16. क्या शिक्षा मंत्री भिज्ञ हैं कि जनपद चमोली के गौचर नामक स्थान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं? क्या यह संस्थान भवन विहीन है तथा टूटे-फूटे भवनों पर संचालित हो रहा है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस संस्थान हेतु भूमि अधिग्रहण की समस्त प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? यदि हाँ तो कब तक उक्त हेतु भवन निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रकाश पन्त 04-09-2003	17. क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में प्राथमिक विद्यालयों में कितने विद्यालय शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षक के विद्यालय हैं? क्या सरकार निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रकाश पन्त 04-09-2003	18. क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगें कि जनपद पिथौरागढ़ में बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के स्थानान्तरण के वार्षिक प्रबन्ध में व्यापक अनियमितता किये जाने की शिकायतों के आधार पर 30 जून, 2003 को किये गये वार्षिक प्रबन्ध को निरस्त कर दिया गया था? यदि हाँ तो सरकार द्वारा अनियमितता किये जाने वाले अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
काजी निजामुद्दीन 04-09-2003	19. क्या उद्यान मंत्री बतायेगें कि राज्य में कितनी हेक्टेयर भूमि में चाय की खेती की जा रही है? क्या सरकार ने चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हाँ तो योजना का स्वरूप क्या है?	उद्यान
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 04-09-2003	20. क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीयकृत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अशासकीय स्तर की सेवाओं का लाभ, प्रोन्नत, वेतनमान, आंगणित नहीं किया जा रहा है? क्या सरकार शिक्षकों की भाँति शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी यह लाभ दिये जाने का विचार करेंगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 04-09-2003 डा0 नारायण सिंह जंतवाल 25-09-2003	21. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संघ (पी.टी.ए.) द्वारा शिक्षण कार्य हेतु अध्यापक रखे गये हैं? यदि हाँ तो कितने विद्यालयों में तथा कब से? क्या सरकार इनको नियमित करने की योजना बना रही है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 04-09-2003	22. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में शिक्षा बन्धु व शिक्षा-मित्र, विजिटिंग फैकल्टी प्रवक्ता नाम के पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं? यदि हाँ तो सरकार की उक्त शिक्षकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में क्या योजना है?	शिक्षा
श्री प्रकाश पन्त 05-09-2003	23. क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में स्थित राजकीय इन्टर कालेज तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के पदों में रिक्तियाँ चली आ रही हैं?यदि हाँ तो क्या सभी विद्यालयों के रिक्त प्रधानाचार्यों के पदों में सेवायोजन शैक्षणिक सत्र 2003-04 में कर लिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रकाश पन्त 06-09-2003	24. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के राजकीय आदर्श विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को एल.टी.वेतन कम में पदोन्नति प्रदान की गयी है? यदि हाँ तो क्या उक्त विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति से वंचित रखा गया है? यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति पर विचार कर रही है?यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री तसलीम अहमद 08-09-2003	25. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद हरिद्वार के ब्लाक लक्सर की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर व ब्लाक बहादराबाद की ग्राम पंचायत मौ0पुर कुन्हारी जो कि संयुक्त रूप से मिली ग्राम पंचायत है को मिलाकर 'सुल्तानपुर कुन्हारी' के नाम से नगर पंचायत बनाने का विचार करेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	प्रथम मंगल के अता.प्र. 125 में स्था.
डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल 09-09-2003	26. क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जसपुर विधान सभा क्षेत्र में आमों के उद्यानों की बहुतायत को देखते हुए क्या सरकार आम के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए उक्त क्षेत्र को मैंगो एक्सपोर्ट जोन बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री बिशन सिंह चुफाल 09-09-2003	27. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रान्तीयकरण के क्या मानक हैं? क्या जनपद पिथौरागढ में जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेखधार के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जाएगा?	शिक्षा

श्री मालचन्द 11-09-2003	28. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राजकीय इन्टर कालेज राजगढी (उत्तरकाशी) वर्ष 1975 में खुला था तथा 27 वर्ष बाद भी आज तक इस विद्यालय का भवन निर्माण स्वीकृत नहीं किया गया? क्या सरकार इस विद्यालय भवन का निर्माण करवायेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री बलबीर सिंह नेगी 11-09-2003	29. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढवाल में पैक्सफैड द्वारा निर्माणाधीन प्रा0 विद्यालय/जू0 हा0 स्कूल भवनों का कार्य कितने वर्षों से लम्बित हैं? यदि हॉ, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश की निर्माण एजेन्सी पैक्सफैड के विरूद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी?यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 11.09.2003	30. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार बेमौसमी सब्जी खरीद एवं भंडारण के लिए कोई कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हॉ, तो क्या सरकार उक्त योजना का प्रारूप सदन के पटल पर रखेगी?	उद्यान
काजी निजामुद्दीन 11.09.2003	31. क्या खेलकूद मंत्री बतायेंगे कि राज्य में हॉकी के कितने मैदानों पर 'एस्ट्रो-ट्रफ' लगी है? क्या सरकार की जनपद हरिद्वार में हॉकी के किसी मैदान पर 'एस्ट्रो-ट्रफ' लगवाने की कोई योजना है? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	खेलकूद
श्री बलबीर सिंह नेगी 15.09.2003	32. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 2001-2002 में किसानों को कितने फलदार वृक्षों के पौधे एवं कितनी खाद निःशुल्क वितरित की गई है?	उद्यान
श्री बलबीर सिंह नेगी 15.09.2003	33. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में इस वित्तीय वर्ष में,उच्चीकृत राजकीय इण्टर कॉलेजों में अध्यापकों के पद सृजन की स्वीकृति कब तक मिल जायेगी? क्या सरकार विद्यार्थियों के हित में अविलम्ब पद सृजन की कार्यवाही करेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री बलबीर सिंह नेगी 15.09.2003	34. क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में प्रा0 विद्यालय-जखाणा के भवन का निर्माण पैक्सफैड द्वारा कराया गया है? क्या विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण कर दिया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार भवन निर्माण पूर्ण कराने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 15.09.2003	35. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सी.पी.एड. अभ्यर्थियों की नियुक्ति परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर जनपदों में अप्रशिक्षित वेतनमान पर की गई थी? क्या यह सही है कि जनपद पौड़ी व चमोली में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है? क्या इसी समानता पर जनपद उत्तरकाशी व टिहरी के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित वेतनमान का भुगतान किया जायेगा? यदि हॉ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा

श्री प्रीतम सिंह पंवार 15.09.2003	36. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर से बी.एड. पत्राचार माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को विशिष्ट बी.टी.सी. प्रवेश साक्षात्कार में सम्मिलित करने के आदेश जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को निर्गत किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 15.09.2003	37. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कॉलेज बनचौरा में प्रधानाचार्य का पद कब से रिक्त है? उक्त पद पर पूर्णकालिक प्रधानाचार्य की तैनाती कब तक कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री बलबीर सिंह नेगी 17.09.2003	38. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कुल कितने राजकीय इण्टर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त चल रहे हैं? क्या सरकार इन कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति किये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री बलबीर सिंह नेगी 17.09.2003	39. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घमातोली में स्टेडियम निर्माण हेतु पूर्ववर्ती सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त स्टेडियम के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी?	खेल
श्री बलबीर सिंह नेगी 18.09.2003	40. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कुल कितने अशासकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेज हैं? इन विद्यालयों में कब से रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ किये जाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री बलबीर सिंह नेगी 18.09.2003	41. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 2001 को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-कुम्भशिला का इण्टर स्तर तक उच्चीकरण किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त विद्यालय इण्टर स्तर तक संचालित हो रहा है? यदि हाँ, तो कब से?	शिक्षा
श्री बलबीर सिंह नेगी 18.09.2003	42. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड- भिलंगना में प्राथमिक विद्यालय- भेटी हिन्दाव का भवन भूकम्प से क्षतिग्रस्त है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? क्या विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में अवमुक्त करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री बलबीर सिंह नेगी 19.09.2003	43. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक मात्र बालिका हाई-स्कूल-बहेड़ा संचालित है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस वर्ष उक्त विद्यालय का उच्चीकरण करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा

श्री बलबीर सिंह नेगी 19.09.2003	44. क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड-भिलंगना के विकास हेतु शासन स्तर पर प्रस्तुत समन्वित विकास योजना को लागू किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री बलबीर सिंह नेगी 19.09.2003	45. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-भिलंगना में स्थित जूनियर हाईस्कूल-रगड़ी का उच्चीकरण किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त विद्यालय का उच्चीकरण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री बलबीर सिंह नेगी 16.09.2003 विशेषज्ञों का मानदेय का	46. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के किन इण्टर कॉलेजों में कक्षा 11 व 12 में व्यवसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत नियुक्त अतिथि विषय भुगतान कब से नहीं किया गया है? क्या सरकार उत्तरांचल गठन के पश्चात व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को इन विद्यालयों में बन्द कर रही है? यदि नहीं, तो कार्यरत विषय विशेषज्ञों के मानदेय भुगतान के संबंध में सरकार ने क्या प्राविधान किया है?	शिक्षा
श्री बलबीर सिंह नेगी 16.09.2003	47. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र घनसाली के रा0उ0मा0 विद्यालय-पटागली एवं कोट बिशन को उच्चीकृत किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 23.09.2003	48. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पदोन्नत प्रधानाचार्यों को विभिन्न राजकीय इण्टर कॉलेजों में रिक्त प्रधानाचार्यों के पदों पर नियुक्त किया गया है? यदि हाँ, तो जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कॉलेज बनचौरा, कोटधार (दशगी), श्रीकोट, जोगथ में रिक्त प्रधानाचार्य के पदों को न भरने के क्या कारण हैं? उक्त कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कब तक कर ली जायेगी?	शिक्षा
श्रीमती आशा नौटियाल 23.09.2003	49. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि चालू वर्ष में उत्तरांचल में कितने जूनियर हाईस्कूल एवं हाईस्कूलों के उच्चीकरण के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? कब तक इन विद्यालयों का उच्चीकरण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 23.09.2003	50. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मौन पालन को रोज़गारपरक बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार नीति की प्रति सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री प्रीतम सिंह पंवार 24.09.2003	51. क्या पंचायत राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्षेत्र पंचायतों में कार्य संचालन संबंधी विभिन्न समितियों में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अतिरिक्त ग्राम प्रधान भी सदस्य होते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	पंचायती राज

श्री मातबर सिंह कण्डारी 24.09.2003	52. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में कक्षा एक से कक्षा आठ तक की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं? यदि हाँ, तो इस अनुपलब्धता का क्या कारण है? क्या सरकार छात्र हित में पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 24.09.2003	53. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय रेशम उद्यान हैं तथा कितने रेशम उद्यान (फार्म) घाटे में चल रहे हैं? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि जनपद रूद्रप्रयाग में ग्राम सभा धारकोट दरज्यूला तल्ला नागपुर में स्थित रेशम फार्म घाटे में चल रहा है? यदि हाँ, तो सरकार इन घाटे में चल रहे रेशम फार्मों के बारे में क्या योजना बनाने जा रही है?	उद्यान
डा0 नारायण सिंह जंतवाल 25.09.2003	54. क्या शिक्षा मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक इन रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ कर दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 26.09.2003	55. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जूनियर हाईस्कूलों की 'अ' श्रेणी की मान्यता संबंधी कोई समिति गठित है? यदि हाँ, तो क्या उसकी प्रत्येक वर्ष बैठक होती है? क्या यह सत्य है कि उक्त समिति की वर्ष 2000 से कोई बैठक नहीं हुई है? क्या सरकार उक्त समिति की बैठक करवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री कैलाश शर्मा 26.09.2003 श्री प्रीतम सिंह पंवार 27.09.2003	56. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार पंचम वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का लाभ उत्तरांचल में वर्ष 2001 में सेवानिवृत्त हुए बेसिक शिक्षकों को भी देने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 29.09.2003	57. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों व कर्मचारियों को पंचम वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 29.09.2003	58. क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत जिला पंचायत उत्तरकाशी से विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत पट्टी भण्डारस्यूँ के ग्राम बड़ेथ में सिंचाई गूल योजना स्वीकृत थी? क्या यह सत्य है कि जिला पंचायत उत्तरकाशी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा धन लेकर उक्त स्वीकृत योजना को पट्टी गाजणा के बड़ेथगाँव में स्थानांतरित कर कार्य करवाया गया? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रथम मंगल के अता.प्र. 123 में स्था.

श्री प्रीतम सिंह पंवार 29.09.2003	59. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने संस्कृत विद्यालय हैं? क्या यह सत्य है कि इन विद्यालयों में आधे से अधिक अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो रिक्त पदों को कब तक भर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 29.09.2003	60. क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय उद्यान रैथल भटवाड़ी उत्तरकाशी को विकसित किये जाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री मातबर सिंह कण्डारी 30.09.2003	61. क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है तथा वर्तमान में सरकार द्वारा उद्यमियों को खादी एवं ग्रामोद्योग लगाने हेतु क्या-क्या सुविधायें मुहैया करायी जा रही हैं?	ग्रामोद्योग
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 30.09.2003	62. क्या पंचायती राज मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के परिसीमन के पश्चात् जनपद चमोली की कितनी ग्राम सभाओं को समाप्त कर दिया है? यदि हाँ, तो उसका आधार क्या है?	पंचायती राज
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 30.09.2003	63. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में स्थित अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवाई को सवित्त मान्यता देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो प्रस्ताव पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?	शिक्षा
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 30.09.2003	64. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के आली कण्डाई जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त विद्यालय का उच्चीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 30.09.2003	65. क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तरांचल में लगभग आठ हजार शिक्षकों के पद प्राथमिक पाठशालाओं में रिक्त हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार विशिष्ट बी0टी0सी0 के पद ढाई हजार से बढ़ाकर सात हजार करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 01.10.2003	66. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकासखण्ड में स्थित लंगासू इण्टर कालेज में विज्ञान संकाय खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 01.10.2003	67. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 1995-96 में बी.एड. एल.टी. के जिन अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की गयी थी, क्या सरकार उन्हें एल.टी. में समायोजित करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 01.10.2003	68. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कुल कितने कमोत्तर विद्यालय कब से चल रहे हैं? क्या सरकार इन कमोत्तर विद्यालयों को जूनियर हाईस्कूल का दर्जा देने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 01.10.2003	69. क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्राइमरी पाठशाला वास्ती पो0 सनगाड़ तहसील कपकोट जनपद-बागेश्वर से रणजीत सिंह प्रधानाध्यापक पद से 31 जुलाई, 1978 को सेवानिवृत्त हुए थे तथा 16 फरवरी, 1979 को उनकी मृत्यु हो गई थी? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उनके सेवाकाल का अवशेष भुगतान व उनकी धर्मपत्नी को पेंशन भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 01.10.2003	70. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय हाईस्कूल बन्तोली विकास खण्ड गरुड़-बैजनाथ जनपद बागेश्वर का उच्चीकरण करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 03.10.2003	71. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के पगना जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त प्रस्ताव पर निर्णय ले लिया जायेगा?	शिक्षा
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 03.10.2003	72. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सर्व शिक्षा के तहत जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट, कर्णप्रयाग एवं पोखरी में किन-किन विद्यालयों का चयन किया गया हैं? क्या सर्व शिक्षा के तहत नये प्राथमिक विद्यालयों का भी प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो ऐसे विद्यालय उक्त विकास खण्डों में कहाँ-कहाँ खोले जाने का प्रस्ताव हैं?	शिक्षा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 11.09.2003	73. क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने परिवार बी0पी0एल0 कार्ड बनने से वंचित रह गये हैं? क्या ऐसे परिवारों को सरकार बी0पी0एल0 कार्ड की सुविधा देगी? यदि हाँ, तो कब तक?	प्रथम सोम के अता.प्र. 104 में स्था.
श्री प्रीतम सिंह पंवार 19.09.2003	74. क्या खाद्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में कुल कितने खाद्य निरीक्षक के पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पदों पर तैनाती नहीं की गई है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2002-2003 में जनपद में कुल कितने व्यापारियों के खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए गये? कितने व्यापारियों को मिलावट के लिए दोषी पाया गया? कितने व्यापारियों के विरूद्ध मुकदमें पंजीकृत/अभियोग दर्ज किये गये तथा कितने व्यापारियों को न्यायालय द्वारा सजा दी गयी?	प्रथम सोम के अता.प्र. 105 में स्था.

श्री मातबर सिंह कण्डारी 19.09.2003	75.	क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से उपभोक्ताओं को गेहूँ चावल एवं चीनी कितनी मात्रा में दी जाती है? क्या यह सत्य है कि मैदानी क्षेत्रों एवं पर्वतीय क्षेत्र के जिलों में खाद्यान्न की मात्रा एक समान नहीं है? यदि हाँ, तो क्यों?	प्रथम सोम के अता.प्र. 106 में स्था.
श्री बिशन सिंह चुफाल 08.10.2003	76.	क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि रा0इ0का0 थल पिथौरागढ़ का एक मंजिला भवन अत्यंत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र हित में अविलम्ब उक्त भवन की मरम्मत हेतु धन उपलब्ध करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 07.10.2003	77.	क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद चमोली, जो कि देश-विदेश के सैलानियों के लिए एक पर्यटन केन्द्र भी है, को यात्रा के दौरान बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में मिट्टी तेल का आवंटन बढ़ाये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रथम सोम के अता.प्र. 107 में स्था.
श्री प्रीतम सिंह पंवार 09.10.2003	78.	क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में आलू विकास एवं शाक भाजी कार्यालय स्यानाचट्टी नौगाँव में अवस्थित था? यदि हाँ, तो उक्त कार्यालय का मुख्यालय स्थानांतरित किये जाने का क्या औचित्य है? क्या उक्त कार्यालय को स्यानाचट्टी नौगाँव में खोला जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री प्रीतम सिंह पंवार 09.10.2003	79.	क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उद्यान विभाग का निदेशक किसी आई0 एफ0 एस0 को बनाया गया है? यदि हाँ, तो पूर्व की भाँति क्या किसी उद्यान विशेषज्ञ को उद्यान निदेशक बनाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री प्रकाश पंत 09.10.2003	80.	क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अगस्त, 2003 में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल द्वारा किये गये एल.टी. शिक्षकों की नियुक्ति प्रकिया में अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर डी.पी.एड./बी.पी.एड. प्रशिक्षित बेरोज़गार महासंघ आन्दोलनरत है? यदि हाँ, तो उनकी मांगें क्या हैं? क्या सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	शिक्षा
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 09.10.2003	81.	**विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त**	

श्री मातबर सिंह कण्डारी 13.10.2003	82. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार फलोद्योग लगाने के लिए कोई नीति बनाने जा रही है?	उद्यान
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 14.10.2003	83. क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-14/8/86 नियुक्ति दिनांक 29 अगस्त, 1986 में रोहतक के बी.एड. धारक अभ्यर्थी भी प्रदेश में बी.एड./एल.टी. हेतु आवेदन कर सकते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रेमानन्द महाजन 15.10.2003	84. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों का कितनी अवधि का मानदेय भुगतान हो चुका है और किस अवधि से मानदेय का भुगतान बाकी है? बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?	शिक्षा
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 16.10.2003	85. क्या उद्यान मंत्री के संज्ञान में है कि प्रदेश स्तर पर भेषज संघ को समाप्त कर जड़ी-बूटी संग्रहण एवं विपणन का कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम को दिया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि भेषज संघ द्वारा विभाग को निरन्तर राजस्व की प्राप्ति कराई जाती है तथा अपने वेतन-भत्ते आदि का जड़ी-बूटी व्यवसाय से स्वयं वहन किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार भेषज संघ में कार्यरत कर्मचारियों का संविलियन सरकारी सेवाओं में करेगी?	प्रथम बुध के अता.प्र. 62 में स्था.
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 16.10.2003	86. क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि रा0इ0 कॉलेज नन्दप्रयाग चमोली को वित्तीय वर्ष 2003-04 में भवन निर्माण हेतु धनराशि निर्गत की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 17.10.2003	87. क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में युवा कल्याण नीति बनाने की सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ, तो युवा कल्याण नीति कब तक घोषित कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	खेलकूद
श्री प्रीतम सिंह पंवार 28.10.2003	88. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में फल पट्टियाँ विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इस पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री प्रीतम सिंह पंवार 23.10.2003	89. क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पर्वतीय, सीमान्त व कमज़ोर वर्ग हेतु क्या कार्ययोजना बनायी गयी है? विगत दो वर्षों में कितने उद्यमियों व संस्थाओं को जनपदवार वित्तपोषित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?	खादी एवं ग्रामोद्योग

श्री प्रीतम सिंह पंवार 23.10.2003	90. क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चलायी जा रही सभी इकाइयाँ लगभग बन्द हो चुकी हैं? जिस कारण भेड़पालकों कत्तिनों व बुनकरों के रोजगार छिन गये हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार खादी ग्रामोद्योग के मृत पड़े केन्द्रों को पुनर्जीवित करने हेतु कोई योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	खादी एवं ग्रामोद्योग
डा० नारायण सिंह जंतवाल 23.10.2003	91. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों को केवल 15 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर "मास्टर ट्रेनर" नियुक्त किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण विद्यार्थियों को समुचित कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान कर देगी? यदि नहीं, तो क्या सरकार पूर्ण-कालिक कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक उक्त नियुक्तियाँ कर ली जायेंगी?	शिक्षा
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 24.10.2003	92. क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी स्थित प्राथमिक विद्यालय ब्राहमण थाला वर्ष 1999 में आये भूकम्प के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए कोई धनराशि अवमुक्त की है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
डा० नारायण सिंह जंतवाल 29.10.2003	93. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के स्पोर्टस हॉस्टलों में प्रवेश का क्या आधार है? उपरोक्त आधार पर हमारे प्रदेश के कितने प्रतिशत छात्र-छात्राएँ इन हॉस्टलों में है? क्या सरकार इस प्रतिशत को बढ़ाने पर विचार करेगी?	खेल
श्री मातबर सिंह कण्डारी 03.11.2003	94. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने जनपदों में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद खाली पड़े हैं? इन पदों को भरने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?	पंचायती राज
श्री मातबर सिंह कण्डारी 04.11.2003	95. क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि व्यायाम शिक्षक (एल.टी.) की नियुक्ति में हुई कथित अनियमितताओं की जाँच अपर सचिव शिक्षा को सौंपी गयी थी? यदि हाँ, तो क्या अपर सचिव ने अपनी जाँच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उस जाँच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 05.11.2003	96. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री विरेन्द्र बहादुर प्रवक्ता अंग्रेजी राजकीय इण्टर कॉलेज थत्यूड़ जिला टिहरी गढ़वाल वर्ष 1998 से उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ से सम्बद्ध हैं? क्या उक्त कर्मचारी का वेतन उक्त विद्यालय से आहरित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त प्रवक्ता को मूल तैनाती स्थल में कब तक लाया जायेगा? क्या सरकार इस प्रकरण की जाँच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा

श्री मातबर सिंह कण्डारी 05.11.2003	97.क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भूकम्प से वर्ष 1999 में जनपद रूद्रप्रयाग में कितने इण्टर कॉलेज तथा रा.उ.मा.वि. भवन क्षतिग्रस्त हुए? सरकार ने इन क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के नव-निर्माण एवं मरम्मत के लिए कोई कार्य योजना बनायी है?	शिक्षा
श्री प्रकाश पंत 10.11.2003	98. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में उर्दू बी.टी.सी. के पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं? यदि हाँ, तो कितने? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रकिया प्रारम्भ करने जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 10.11.2003	99. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत रा.इ.कॉलेज नैनीसैंड कण्डारा में वर्तमान में चार प्रवक्ता, दो सहायक अध्यापकों सहित वरिष्ठ लिपिक दफ्तरी, परिचारक एवं सफाई कर्मचारी के पद विगत वर्ष से रिक्त है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन पदों पर शीघ्र तैनाती करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 10.11.2003	100. क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत नैनीसैंड कण्डारा में कन्या हाईस्कूल खोलने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 11.11.2003	101. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग से जूनियर हाई स्कूल हड़ेतीखाल, लौंगा सकलना लस्या, कोटी लस्या बीरौंधनपुर, बरसिर लस्या तथा रा.उ.मा.वि. पौंजणा सिलगढ़, जयन्ती कोठियाड़ा (लस्या), ग्वाडपीड़ा धनपुर, बरसूड़ी (बछणस्यूँ), टैठी (बछणस्यूँ), त्यूखर (लस्या), चौरिया (भरदार) के उच्चीकरण के प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित हैं? यदि हाँ, तो उक्त विद्यालयों में से निर्धारित मानक पूरे करने वाले विद्यालयों का उच्चीकरण सरकार कब तक करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 11.11.2003	102. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रूद्रप्रयाग विधान सभा में कितने रा.उ.मा.वि. एवं इण्टर कॉलेजों के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? क्या सरकार इन भवनों की मरम्मत करवाने का प्रबन्ध करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 11.11.2003	103. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग व चमोली में माल्टा की खरीद हेतु सरकार क्या कोई व्यवस्था कर रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री मातबर सिंह कण्डारी 12.11.2003	104. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के राजकीय इण्टर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान समय में रा.इ.कॉलेजों में कितने प्रधानाचार्यों एवं प्रवक्ताओं के पद रिक्त पड़े हैं तथा कब तक उक्त पदों को भर दिया जायेगा?	शिक्षा

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6. प्रभावी रोजगार नीति बनाकर एक निश्चित अवधि के भीतर शिक्षित, प्रशिक्षित एवं अन्य बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने, 7. प्रदेश के मानव संसाधन के समुचित विकास एवं उपयोग हेतु एक कारगर शिक्षा नीति बनाये जाने, 8. उत्तरांचल राज्य की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुए कारगर औद्योगिक नीति बनाये जाने, 9. प्रदेश की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के मध्येनजर एक माइक्रोलेवल आधारित कारगर कृषि नीति बनाये जाने, 10. प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने के बकाया भुगतान सहित, न्यूनतम 100 एक सौ रूपया प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने, 11. बिन्दुखत्ता, बग्धा चव्वन, दमुवांढूंगा सहित सभी बन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने, 12. कस्तूरी मृग बिहार अस्कोट सहित विभिन्न वन्य जन्तु अभयारण्यों में सम्मिलित अनावश्यक क्षेत्र को अभयारण्यों से मुक्त किये जाने, 13. धारचूला-मुंस्यारी तहसीलों को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने, 14. राज्य बनने के पश्चात् नये जनपदों, तहसीलों, एवं विकास खण्डों के सृजन, 15. धारचूला, मुंस्यारी, डीडीहाट, जोशीमठ तहसीलों की भांति सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र के नौजवानों की सेना में भर्ती की योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण किये जाने, 16. आई0टी0पी0एल0 वीरभद्र-ऋषिकेश को राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत किये जाने एवं वी0आर0एस0 का विकल्प न अपनाने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा समायोजित किये जाने, 17. टिहरी बांध के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कारगर कार्यवाही किये जाने।"

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
19.	श्री बलवीर सिंह नेगी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु पूर्व में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रभावी नीति बनाने,
2. राजस्व पुलिस की सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उन्हें अधिक सुविधा व अधिकार देकर दूरस्थ ग्रामीण अंचल में कानून व्यवस्था ठीक करने,
3. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 कि0मी0 नवीन मोटर मार्ग निर्माण, 20 कि0मी0 डामरीकरण, 5 झूला पुल, 5 नवीन इण्टरमीडिएट, 5 नवीन हाईस्कूल, 5 स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिये जाने,
4. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मेसिस्टों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं के निराकरण किये जाने,
5. प्रदेश में प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों, बी0एड0, वी0पी0एड0, सी0पी0एड0, डिप्लोमा इन्जीनियरों तथा अन्य प्रशिक्षित तथा उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के सेवायोजन हेतु प्रभावी कदम उठाने,
6. प्रदेश में समस्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने,
7. प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने,
8. जनपद टिहरी गढ़वाल में धमातोली, दोणी में मिनी स्टेडियम की स्थापना करने,
9. आपदा प्रबन्धन विभाग को सुव्यवस्थित कर दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने,
10. जनपद टिहरी गढ़वाल के गोना एवं बूढ़ाकेदार क्षेत्र में दैवी आपदा से प्रभावितों का पुनर्वास करने,

...23/..

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में दैविक आपदा से क्षतिग्रस्त बासर नहर, पुण्डारा नहर, लुवा नहर, दुरानी नहर, भड़कोट नहर, गांफल नहर, डोखर नहर, श्रीकोटर गांव नहर, खबाड़ा नहर, सिरवाणी नहर, अगुण्डा नहर, भिगुन नहर, मैल्डगांव दला नहर, देवला नहर, जखाणा नहर, उखन्द्रा नहर, चानी नहर जिवालगांव नहर, पोखर नहर, डांगभद्री नहर, कण्डारस्यूं नहर, जखेड़गांव नहर, पदोखा नहर, थाति नहर, जखाली नहर, सिल्यारा नहर, चामा नहर, केमरा नहर, खोला नहर, अन्दरिया नहर, असेना नहर, पौनाड़ा नहर, भट्ट गांव नहर छतियारा नहर, घटबाड़ा नहर, केवला नहर चकचौड नहर आदि 52 क्षतिग्रस्त नहरों का पुर्ननिर्माण करने,
		12. टिहरी बांध प्रभावितों के प्रत्येक परिवार को रोजगार व पुनर्वास करने तथा प्रत्येक अवयस्क को पूर्ण परिवार का दर्जा देने,
		13. जनपद टिहरी गढ़वाल के कोट विशन, पटागली, चौणीखाल, घनसाली बहेड़ा, मगरों आदि हाईस्कूलों का इण्टरमीडिएट तक उच्चीकरण करने तथा जू0 हा0 स्कूल-केपार्स, कठैती, पाख तल्यावन फलेण्डा, रगड़ी, जसपुर का हाईस्कूल तक उच्चीकरण करने,
		14. जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में घनसाली-अखोड़ी-मूलगढ़ मोटर मार्ग, घनसाली-घुत्तु-देवलंग मोटर मार्ग, चमियाला-कोटालगांव-लम्ब गांव मोटर मार्ग, मूलगढ़-यार्ती मोटर मार्ग, घनसाली-बूढ़ाकेदार झाला मोटर मार्ग, विनकखाल मोटर मार्ग का सुदृढीकरण व डामरीकरण करने,
		15. जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी परिवारों को टिहरी बांध से मुफ्त बिजली देने,
		16. शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र को नियमित करने,
		17. पर्यटन विकास के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-घनसाली में स्थित धार्मिक व पर्यटक स्थलों-बूढ़ाकेदार, घुत्तु मासरताल, जरालताल, मज्याड़ताल, लम्बताल, लिंग ताल, मासू ताल, सहस्त्रताल, क्यारखी बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, झल्ला, वेलक खतलिंग गंगी, पिन्सवाड़, विशोल पर्वत, जगढीशिला, रतकोट मासरताल, बालासुन्दरी, वेलेश्वर, दूधधारी, ज्वालामुखी, राजराजेश्वरी, हटकुणी, तिनगढ़िया, रानीगढ़ को चिन्हित कर विकसित करने,

...24/...

18. गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने,
19. होमगार्ड के वेतन में प्रतिदिन 50/- रूपये की वृद्धि करने,
20. उ0प्र0 के विकल्पधारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर उ0प्र0 भेजे जाने तथा उनकी जगह पर शिक्षित-प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति दिये जाने,
21. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के वादघाट के घायलों/पीड़ितों व प्रमुख आन्दोलनकारियों को विशेष मुआवजा व सम्मान दिये जाने,
22. प्रदेश के अंशकालिक पी0टी0सी0 कार्यकर्ताओं को नियमित किये जाने,
23. फलोत्पादन बीमा लागू करने,
24. जनपद-टिहरी गढ़वाल के दूरस्थ स्थान-बूढ़ाकेदार विनकखाल, दयूड़ा घनसाली, भटगांव, के पास एड़ी, पणचुरी, सरस्वती सैण, स्यूरी, पिन्सवाड़ गंगी, गैंवाली, पट्टुगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त संख्या में खोले जाने,
25. जनपद-टिहरी गढ़वाल के चुरेरना बालगंगा होलाणाखाल, पौखाल में विकास खण्ड खोले जाने,
26. टिहरी बांध के कारण जनपद टिहरी गढ़वाल का भूगोल परिवर्तित होने के कारण घनसाली तहसील को पृथक कर पूर्ण जिला घोषित करने,
27. जनपद-टिहरी गढ़वाल के धर्मगंगा में कोटी अगुण्डा के बीच झूला पुल बनवाने तथा बाल गंगा नदी पर पढोखा व भिलंगना नदी पर देवलंग व मेण्डू के बीच झूला पुल निर्माण की स्वीकृति दिये जाने तथा पंगेठी में झूला पुल का निर्माण किये जाने,
28. जनपद टिहरी गढ़वाल के विनकखाल में इंन्जिनियरिंग कालेज खोलने,
29. जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान अखोड़ी के महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
30. भिलंगना विकास खण्ड में फलपट्टी योजना बनाये जाने,
31. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को विकास कार्यो हेतु शिथिल किये जाने,
32. जनपद-टिहरी गढ़वाल के ग्राम सरकण्डा में लिफ्ट पेयजल योजना को स्वीकृत किए जाने,
33. भटगांव-लोढस, आर्स पेयजल योजना में पेयजल आपूर्ति किये जाने,

...25/...

34. रीह से गंगी, लाद्य से चूलागढ़, बूढ़ाकेदार से ज्वालामुखी, जगदीगाड़ से जगदीसिला, दल्ला से किमुण्डाखाल की यातायात व्यवस्था हेतु रज्जूमार्ग लगाए जाने,
35. बूढ़ाकेदार में चीड़ की पत्तियों पर आधारित कोयला तथा गत्ता उद्योग लगाये जाने,
36. मूलगढ़-ठेला-गण्डाराखाल मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण किए जाने,
37. बूढ़ाकेदार, विनकखाल, जगदीशिला में स्टेट बैंक की शाखा खोले जाने,
38. पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने''।

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी "घ"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री भगत सिंह कोश्यारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नही किया है :- 1. दो लाख लोगों को रोजगार देने का वादा पूर्ण न किए जाने और इस वर्ष प्रत्यक्ष सेवाओं में कम से कम 20 हजार नियुक्तियां करने, 2. विशिष्ट बी0टी0सी0 डिप्लोमा इंजीनियर, फार्मासिस्ट, आई0टी0आई0 प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति दिये जाने, 3. खनन नीति में परिवर्तन कर स्थानीय लोगों के माध्यम से नदी चुगान आदि में प्राथमिकता देने तथा खनन पट्टा जारी करने का अधिकार उप जिलाधिकारी को सौंपने, 4. गन्ना तथा अन्य कृषि उपजों के समर्थन मूल्य की घोषणा करने तथा पूर्व निर्धारित मूल्य का भुगतान करने, 5. राज्य में भ्रष्टाचार का निदान करने, 6. पर्यटन को जन सहभागिता के साथ विकसित करने, 7. शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु उपाय करने, 8. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत विकास के तहत सड़क, स्कूल, अस्पताल स्वीकृत करने, 9. जनपद बागेश्वर तथा रुद्रप्रयाग में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कार्यालय खोलने।"

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
2.	श्री मातबर सिंह कण्डारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. सौंराखाल भरदार (रुद्रप्रयाग) में आई0टी0आई0 खोलने,
2. जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में राजकीय महाविद्यालय खोलने,
3. उपतहसील जखोली को पूर्ण तहसील बनाने,
4. सिद्धसौड (बड़मा), किमाणा (फुटगढ़), घंगासू (बांगर), धोलीर (रानीगढ़), कांडई (बछणस्यूँ) तथा सौंराखाल भरदार में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने,
5. जनपद मुख्यालय रुद्रप्रयाग में राजकीय पोलिटेक्निक कालेज खोलने,
6. तुनेट (भरदार), देवीधार (सिलगढ़) गहडखाल (बछणस्यूँ), पुलन (बांगर), अमकोटी (लस्या) हडेतीखाल (दशज्यूला), जसोली (रानीगढ़) तथा ब्वेफड धनपुर में राजकीय चिकित्सालय खोलने,
7. लस्तर नदी (रिखैंण) रहड़ (सिलगढ़), मन्दाकनी नदी (गंगतल), अलकनन्दा नदी धुर्येली (दशज्यूला), तथा अलकनन्दा नदी पपडासू (भरदार) में झूला पुल का निर्माण करने,
8. जखन्यालगाँव (बड़मा), कोटी सेम (बड़मा), सिखाडी, पुलन लिस्वाल्टा (बांगर), बक्सीर भुनालगाँव डाँगी खोड (पूर्वी बांगर) तथा गर्वाणा (भरदार) में विद्युतीकरण की सुविधा देने,
9. तल्ला नागपुर, दशज्यूला, रानीगढ़, धनपुर, बछणस्यूँ तथा भरदार को मिलाकर रुद्रप्रयाग में नये विकास खण्ड का सृजन करने,
10. नगरासू जसोली डांडाखाल, तिलवाड़ा सौंराखाल, खांकरा कांडई खेड़ाखाल, जखोलीमीरी मोटर मार्गो का डामरीकरण करने,
11. शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने,

...3/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

12. ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली देकर लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने एवं जले ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने,
13. सम्पूर्ण उत्तरांचल में मद्य निषेध लागू करने,
14. विकास खण्ड जखोली रूद्रप्रयाग के भवन का निर्माण करने,
15. तिलवाड़ा में महिला चिकित्सालय खोलने,
16. चिरबटिया, बांगर, बडमा, रानीगढ़, धनपुर बछणस्यूँ में फल पट्टी योजना शुरू करवाने,
17. चिरबटिया (लस्या) में राजकीय आलू फार्म की स्थापना करने,
18. रतूड़ा (धनपुर) में राजकीय आदर्श कृषि फार्म की स्थापना करने,
19. खांकरा (बछणस्यूँ) में राजकीय डेरी फार्म की स्थापना करने,
20. तुनेटा भरदार में गत्ता फैक्ट्री की स्थापना करने,
21. हरियाली देवी, कैनादेवी, जखोली, चिरबटिया, सिद्धसौड, मठियाणाखाल पर्यटक स्थलों का विकास कराने,
22. जनपद रूद्रप्रयाग में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, उप वन संरक्षक, प्रबंधक उद्योग विभाग निरीक्षक मत्स्यपालन के पद सृजित कर उक्त पदों पर नियुक्ति दिलाने,
23. धनकुराली नहर, तुनेट नहर, बरसारी नहर, पौंजणा नहर धाका नहर, खांकरा नहर, नगरासू नहर, चोपडा नहर, सुमाडी नहर, पल्द्योला नहर धारी नहर की मरम्मत करवाने,
24. बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रदेश में उद्योग धन्धों को लगाने,
25. भवन विहीन बेसिक पाठशालाओं एवं भवन विहीन जूनियर हाई स्कूलों में भवन निर्माण कराने,

...4/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26. रा0उ0मा0वि0 तथा रा0इ0का0 में प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती कराने, 27. विकलांग विधवाओं एवं वृद्धावस्था पेंशन का वितरण तत्काल करवाने, 28. किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान तत्काल करवाने, 29. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छूटे परिवारों को बी0पी0एल0 के कार्डों की सुविधा देने, 30. दुर्गम तथा दूरस्थ क्षेत्रों में खुले अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति करने, 31. मानक के आधार पर दुर्गम तथा दूरस्थ क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति करने, 32. प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर उत्तरांचल को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने।"
3.	श्री प्रीतम सिंह पंवार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को उत्तर प्रदेश भेजे जाने के लिए उन्हें कार्यमुक्त कर रिक्त स्थान पर शिक्षित-प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्त किये जाने, 2. प्रदेश की स्थायी राजधानी की घोषणा कर अस्थाई राजधानी में बेहिसाब हो रहे खर्चो पर रोक लगाकर स्थाई राजधानी के निर्माण व विकास किये जाने, 3. उत्तरांचल की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संरचना अक्षुण्ण रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत विशेष प्राविधान किये जाने के लिए केन्द्र सरकार को संस्तुति करने, 4. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5. प्रदेश में नौकरशाही को अनुशासित करने, 6. प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार किये जाने के लिये प्रभावी उपाय की घोषणा करने, 7. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों, बी0एड0, सी0पी0एड0, डिप्लोमा धारी इन्जीनियरों तथा अन्य प्रशिक्षित व उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को सेवायोजन हेतु प्रभावी कदम उठाने, 8. राज्य के भेड़ पालकों के उत्थान के लिए व उनके द्वारा उत्पादित ऊनी सामग्री के विपणन की समुचित व्यवस्था करने, 9. अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के समुचित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप विकास नीति बनाने, 10. प्रदेश के बेरोजगारों की विषम आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जीवन यापन हेतु बेरोजगारी भत्ता दिये जाने तथा परीक्षा व साक्षात्कार में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करने, 11. प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत ईंधन स्रोतों के घटने के कारण रसोई गैस में प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी की व्यवस्था करने, 12. प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर खेल स्टेडियम की स्थापना करने, 13. प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति व जलवायु की अनुकूलतः के परिपेक्ष्य में बे-मौसमी सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती, बागवानी के लिए ब्लाक स्तर पर प्रसार-प्रशिक्षण व्यवस्था कर उत्पादित सामग्री के बाजार की व्यवस्था करने, 14. उत्तराखण्ड की गौरवमयी संस्कृति को संरक्षित करने व समुचित स्थान प्रदान करने एवं क्षेत्रीय भाषाओं यथा गढ़वाली, कुमाऊँनी, जौनसारी, भोटिया के विकास के लिए एक राज्य स्तरीय पृथक अकादमी की व्यवस्था करने, 15. गन्ना किसानों को उनके उत्पादन का समुचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करने तथा चीनी मिलों द्वारा समयबद्ध भुगतान के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने,

...6/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16. राज्य में कठिन कार्यों के बोझ तल्ले दबी महिलाओं के विकास के लिए पृथक नीति बनाये जाने,
		17. टिहरी बाँध परियोजना के विस्थापितों की समस्या को हल करने के लिए समेकित एवं समयबद्ध नीति को घोषित करने,
		18. मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण से प्रभावित परिवारों के सदस्यों को सरकारी सेवा में लेने,
		19. प्रदेश में स्तरीय शिक्षा के विकास के लिए स्नातक स्तर तक निःशुल्क पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करने,
		20. वन विभाग में कार्यरत दैनिक व संविदा आधारित कर्मचारियों को वृत स्तर पर नियमित करने व साधन सहकारी समिति सचिव, गणक, संग्रह अमीनों, लो०नि०वि०, जल संस्थान में कार्यरत पी०टी०सी० सहित विभिन्न, निगमों में दैनिक व संविदा आधारित कर्मचारियों को नियमित कर राज्य कर्मचारी घोषित करने,
		21. प्रदेश में प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन कर प्रतापनगर, बड़कोट, कोटद्वार, रूड़की को अलग जनपद बनाए जाने,
		22. प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यो, प्रवक्ता व अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने,
		23. चिन्यालीसौड़ व गौचर में स्थापित हवाई पट्टियों को सुदृढ़ कर वर्ष, 2003 यात्रा काल से वायु सेवा प्रारम्भ करने हेतु व्यवस्था करने,
		24. स्वीकृत मोटर मार्गो भड़कोट-रौंतल, बगोडी, धरासू-रौंतल, धरासू-चमियारी, चिन्यालीसौड़-कोट (बागी), बडेथी-कांदला, भवान-नगुण, कल्याणी-तराकोट, सुलियाखोल-नौगाँव गोडर, चामी-सिंगुणी, नौगाँव-स्यूरी, बोपड़ा-वणगाँव, गमरागड-बोपड़ा सहित राज्य के सभी स्वीकृत मोटर मार्गो का कार्य प्रारम्भ करवाने तथा अधूरे पड़े मोटर मार्गो को पूरा करवाने सहित आवश्यक नए मार्गों के निर्माण करवाने,
		25. इन्द्रकील पर्वत, जगदेई, बागटिब्बा, सेम, राड़ी देवराणा, मौरियाणा, डोडीताल सहित राज्य के सभी सुन्दर स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने,

...7/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26. प्रदेश में दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को बिना भेदभाव के समान सहायता उपलब्ध कराये जाने।
4.	श्री नारायण पाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. सितारगंज में बैगुल नदी के लगातार कटाव से भूमि की सुरक्षा के उपाय किए जाने, 2. ग्राम आस्ता, सितारगंज, जहाँ शिक्षा, चिकित्सा सड़क, सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, का समुचित विकास किये जाने, 3. सितारगंज चीनी मिल के लम्बित गन्ना भुगतान अविलम्ब किये जाने, 4. थारु जनजाति में शिक्षा, चिकित्सा समेत समुचित विकास किये जाने, 5. नानकमत्ता क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने।"
5.	श्री हरबंस कपूर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. सीवर के पानी को खुले में छोड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने एवं विभाग के अधिकारियों को दंडित किये जाने, 2. देहरादून निगम की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने तथा निगम के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, 3. देहरादून निगम में सम्मिलित नये क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर मलिन बस्तियों को चिन्हित कर पंजीकृत किये जाने एवं मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत सुधार कार्य किए जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4. 14-देहरादून विधान सभा क्षेत्र स्थित कौलागढ़, मन्नूगंज, शांतिविहार, गोविन्दगढ़, चुक्खुवाला, खुड़बुड़ा, राजेन्द्र नगर आदि क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत के परिप्रेक्ष्य में कौलागढ़, खुड़बुड़ा, चुक्खुवाला, गोविन्दगढ़ में एक-एक ट्यूबेल लगाए जाने, 5. मन्नूगंज, खुड़बुड़ा, लूनिया मोहल्ला आदि क्षेत्रों में गुजरने वाले गन्दे नाले का ढक्कनयुक्त किए जाने, 6. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्रसारित गुच्छू पानी भट्टा, गूलर घाटी, पर्यटन योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच करने एवं वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित किए जाने।"
6.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल की कौड़िया किनसार रोड का डामरीकरण करने, 2. लक्ष्मणझूला पांडव गुफा के नजदीक गंगा नदी पर मोटर पुल का निर्माण करने, 3. थल नदी, विकास खण्ड यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल में स्थित पालिटेनिक को महिला पालिटेकनिक कर महिलाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा प्रारम्भ करने, 4. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत डाडामण्डी विकास खण्ड द्वारीखाल, पौड़ी गढ़वाल में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने, 5. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत गैड़खाल, पौड़ी गढ़वाल में एक 20 शैया का अस्पताल खोलने, 6. स्वर्गाश्रम, पौड़ी गढ़वाल में औद्योगिक इकाई की स्थापना करने, 7. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के रा0उ0मा0 विद्यालय महादेव चट्टी का उच्चीकरण करने,

...9/..

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. पूर्व मा0 विद्यालय चोपड़ा, यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल का उच्चीकरण करने।"
7.	श्री कैलाश शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. अल्मोड़ा नगर की जर्जर मुख्य सड़क की मरम्मत करने, 2. उत्तरांचल में अशासकीय मान्यता प्राप्त हाईस्कूल/ईण्टरमीडिएट कालेजों को अनुरक्षण अनुदान देने, 3. अल्मोड़ा जनपद में भैसियाछाना विकास खण्ड में नैनीहरड़ा मोटर मार्ग का निर्माण करने, 4. अल्मोड़ा जनपद में भैसियाछाना विकास खण्ड के मंगतलता में झूलापुर का निर्माण करने, 5. अल्मोड़ा नगर के महिला चिकित्सालय के भवन के जीर्णोधार एवं कर्मचारी आवासीय भवन बनाने, 6. अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड हवालबाग के प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के जीर्ण भवन की मरम्मत करने, 7. अल्मोड़ा नगर में टैक्सी स्टैण्ड बनाने, 8. हवाल-बसाली मोटर मार्ग को पूर्ण करने, 9. कोसी कसार देवी पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने, 10. शेराघाट नाली मोटर मार्ग एवं पुल का निर्माण करने, 11. गोवर्धन तिवारी बेस अस्पताल अल्मोड़ा में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति करने।
8.	श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

...10/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		1. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत अधूरे पड़े मोथरोंवाला-दूधली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करने, 2. जंगली हाथियों द्वारा नकरौंड़ा, चांदमारी, माधोवाला, सतीवाला, दूधली, सिमलास, नागल, बुलन्दावाला आदि गांवों में कृषि उत्पादों में हो रही क्षति के सम्बन्ध में क्षेत्रवासियों की जीवन रक्षा की व्यवस्था करने, 3. राज्य आन्दोलन में गोलियों से घायल आन्दोलनकारियों को रोजगार उपलब्ध कराने, 4. राजीवनगर, डांडा वार्ड 2, देहरादून महानगर में घरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाईनों को हटाने, 5. जनपद देहरादून में बिन्दाल नदी द्वारा क्लेमेंटाउन कैंट, इन्दिरा फार्म, मोथरोंवाला, दौड़वाला, सिमलास, खैरी, झबरावाला, बुल्लावाला गांवों में प्रतिवर्ष सैकड़ों बीघा भूमि के जलकटाव को रोकने, 6. बिन्दाल व सुसवा नदी में हो रहे अतिक्रमण को हटाने।
9.	श्री मदन कौशिक	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है" :- 1. प्रदेश कानून व्यवस्था को सुधारने हेतु योजना बनाने, 2. प्रदेश के किसानों की जर्जर आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें बिजली एवं पानी की आपूर्ति निःशुल्क देने, 3. किसानों के गन्ने का उचित मूल्य एवं तुरन्त भुगतान किए जाने, 4. उत्तरांचल के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने, 5. प्रदेश में आबकारी नीति को प्रभावी बनाने, 6. प्रदेश में जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए परिवार नियोजन की किसी कार्ययोजना को बनाए जाने, 7. प्रदेश के नीजी इन्जीनियरिंग कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया लागू करने,

...11/...

क्र.सं. प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप

8. उत्तरांचल में मूल निवास प्रमाण पत्र प्रकिया को सरल एवं उसे प्राप्त करने की सीमा निश्चित करने,
9. उत्तरांचल के व्यापारियों हेतु 'वैट' को सरलीकरण करने एवं उसमें छूट देने,
10. प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योगों को स्थापित करने हेतु उद्यमियों को आकृषित करने,
11. स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के पेंशन वृद्धि, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि करने,
12. उत्तरांचल में अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल/हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अनुरक्षण अनुदान देने की कोई कार्ययोजना बनाने,
13. प्रदेश में आई0एस0आई0 एवं माओवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने,
14. प्रदेश में सहकारिता के चुनाव जल्दी कराये जाने,
15. उत्तरांचल में गंगा को प्रदूषण से पूर्णतया मुक्त रखने के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनाने,
16. उत्तरांचल के विधायकों को विधायक निधि एक करोड़ किये जाने,
17. प्रदेश के गरीब लोगों को आर्थिक आरक्षण दिये जाने,
18. उत्तरांचल को शेष परिसम्पत्तियों में हिस्सेदारी तथा अधिकारों को दिलाने की समय सीमा निश्चित करने,
19. भ्रष्टाचार पर अंकुश हेतु स्पष्ट नीति बनाने,
20. राज्य की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हेतु पृथक चिकित्सा नीति बनाने,
21. व्यय कम करने हेतु मंत्रि मंडल के आधार को कम करने,
22. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र में साईन्स डिग्री कालेज खोलने,
23. हरिद्वार में वर्ष भर पड़ने वाले मेलों को अधिसूचित कर यात्रियों की सुविधा हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने,
24. हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित करने,
25. हरिद्वार में हवाई पट्टी का विस्तार कर विमान सेवा प्रारम्भ किये जाने की व्यवस्था करने,
26. हरिद्वार के पौराणिक महत्व के स्थलों को विकसित किये जाने,
27. हरिद्वार के ज्वालापुर में बस स्टैण्ड बनाने,
28. हरिद्वार में सिटी बस चलाने,

...12/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		29. हरिद्वार में मेडिकल कालेज खोलने, 30. राज्य में गौ रक्षा आयोग के सम्बन्ध में, 31. हरिद्वार को पूर्णतया सीवरेज से जोड़ने, 32. उत्तरांचल के संस्कृत विद्यालयों को पंचम् वेतनमान देने।"
10.	श्री माल चन्द	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. विधान सभा क्षेत्र पुरोला को जनपद बनाने, 2. राजगढ़ी को तहसील एवं मोरी को तहसील बनाने, 3. सूखे से पीड़ित लोगो के लिए राहत देने, 4. गोविन्द पशु विहार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विस्थापित करने, 5. गोविन्द पशु विहार में रहने वाले लोगों के लिए विकास से संबंधित कार्यो के लिए कोई नीति बनाने, 6. भेड़ पालकों को चरान चुगान की गोविन्द पशु विहार में व्यवस्था करने, 7. 30 कि0मी0 चलने वाले गाँव के लोगों के लिए सड़क बनाने, 8. विधान सभा क्षेत्र पुरोला में दूर दराज के गाँव के लोगो के लिए स्कूल खोलने, 9. ऊन से सम्बन्धित वस्त्र की लघु उद्योग इकाई स्थापित करने, 10. पर्वतीय क्षेत्र में ऊन की मण्डी एवं कार्डिंग प्लान्ट स्थापित करने, 11. बाढ़ से खेतों के कटान रोकने एवं कटान के लिए मुआवजा देने, 12. विधान सभा क्षेत्र पुरोला में जड़ी बूटी केन्द्र की स्थापना करने, 13. विधान सभा क्षेत्र पुरोला के दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा डाक्टरों को नियुक्त करने।"

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
11.	श्रीमती आशा नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. विधान सभा क्षेत्र, केदारनाथ, जिला-रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के उत्तराखण्ड विद्यापीठ में आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट की ट्रेनिंग शुरू करने, 2. विकास खण्ड, अगस्त्यमुनी, जनपद-रूद्रप्रयाग के कारगिल शहीद भगवान सिंह मोटर मार्ग को स्थान वासवाडा से मोहनखाल तक डामरीकरण करने, 3. तहसील, ऊखीमठ, जनपद-रूद्रप्रयाग, में बालिका हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कॉलेज खोलने, 4. विकास खण्ड-अगस्त्यमुनी, जनपद-रूद्रप्रयाग, विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में तल्लानागपुर तथा वसुकेदार नये विकास खण्डों का सृजन करने, 5. विधान सभा केदारनाथ, के विकास खण्ड-अगस्त्यमुनी, में ग्राम इशाला, तेवडी, दौला कन्यास में पेयजल की सुविधा प्रदान करने, 6. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ व अगस्त्यमुनी में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग, पैदल मार्ग, पैदल पुल व यात्री मार्गों का सुधार करने, 7. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ, जनपद-रूद्रप्रयाग में पर्यटक स्थलों व धार्मिक स्थलों का विकास जैसे-देवरियाताल का सौन्दर्यीकरण, कार्तिक स्वामी में पैदल मार्ग निर्माण व सौन्दर्यीकरण, वसुकेदार मन्दिर का सौन्दर्यीकरण करने, 8. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ, जनपद-रूप्रयाग में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुमेरा, मणिगुह, भणज, रामपुर का उच्चीकरण करने।"
12.	श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया ह :-

...14/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		1. जनपद चमोली की नन्दादेवी राजरात यात्रा मार्ग के लिए विशेष आवासीय भवन, निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने, 2. विकास खण्ड घाट एवं पोखरी में खेल मैदान निर्माण को प्राथमिकता देने, 3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोखरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने, 4. विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, 5. विकास खण्ड पोखरी में पूर्व में संचालित लोक निर्माण विभाग के डिविजन को पुनः खोलने, 6. विकास खण्ड घाट, कर्णप्रयाग एवं पोखरी के अनेकों गाँवों को विद्युतीकरण से जोडने, 7. विकास खण्ड घाट, कर्णप्रयाग एवं पोखरी के पेयजल सुविधा से वंचित गांवों क्वीठी कांण्डा, सिमलासू, जिलासू, मिलोठी मस्टगाँव, पगना, करूणमल्ला, मोली हिडोली सुनाली आदि गाँवों को प्राथमिकता से जोड़ने,. 8. विकास खण्ड घाट एवं पोखरी में रिक्त संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों, विद्यालय भवनों के निर्माण एवं रखरखाव को प्राथमिकता देने, 9. विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत ग्राम वमोथ में गोचर-वमोथ को मोटर मार्ग पुल से प्राथमिकता के आधार पर जोडने, 10. शासन में विद्यालयों के उच्चीकरण हेतु लम्बित लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता देने, 11. विकास खण्ड पोखरी में उडामाडा-चोपड़ा मोटर मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करने।"
13.	श्री विशन सिंह चुफाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. राम गंगा नदी पर नाचिक डीडीहाट में झूला पुल बनाने,

...15/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2. दैवी आपदा में क्षतिग्रस्त डीडीहाट के गोरघटियां गाड़ जमथली में झूला पुल का निर्माण करने, 3. दैवी आपदा में डीडीहाट दूनाकोट में मेठीगाड़ तथा खेतार में पुलिया का निर्माण करने, 4. डीडीहाट में मिनी स्टेडियम का निर्माण करने, 5. डीडीहाट के अलगड़ा पुर्नगठन पेयजल योजना का निर्माण करने, 6. डीडीहाट चौसाल लेक पेयजल योजना को कार्यान्वित करने, 7. डीडीहाट के नाचनी में हाईड्रम योजना बनाने।"
14.	श्री अनिल नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्णप्रयाग का उच्चीकरण करने, 2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गैरसैण का उच्चीकरण करने, 3. गौचर (चमोली) में स्टेडियम निर्माण करने, 4. गौचर (चमोली) में निर्मित हवाई पट्टी के दोनों ओर रास्ते एवं नाली निर्माण करने, 5. बगोली (कर्णप्रयाग) से चूला-सबनी मोटर मार्ग के बनाने, 6. देवागाड़ (गैरसैण) से कण्डारीखोड़ मोटर मार्ग बनाने, 7. बैल-देवपुरी (गैरसैण) से तलवाड़ी (थराली) मोटर मार्ग बनाने, 8. बड़ेथ-पिण्डवाली (गैरसैण) एल0वी0आर0 को चौड़ा डामरीकरण के करने, 9. गडोत (गैरसैण) झूला पुल बनाने, 10. महाविद्यालय गैरसैण के भवन का निर्माण करने, 11. जू0हा0 स्कूल छण्डियाल (गैरसैण) एवं चूला (कर्णप्रयाग) का के उच्चीकरण करने, 12. खतोली, ग्वाड़, डुंगी, जसपुर (कर्णप्रयाग) एवं रणचौरा पांडवाखाल गोमनातल्ला-मल्ला (गैरसैण) आदि ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने, 13. सिमली-सेनू (कर्णप्रयाग) नहर का पुनः निर्माण करने।"

...16/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
15.	श्री प्रकाश पन्त	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित नई झील निर्माण का निर्माण करने, 2. जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में रिंग रोड का निर्माण करने, 3. पूर्व में स्वीकृत जी0आई0सी0-सुकाली-धमाली मोटर मार्ग, अशोक नगर भाटी गाँव मोटर मार्ग, बझबे-तोली मोटर मार्ग, दिग्तोली-दयूड़ी मोटर मार्ग, बडारी-कांटेबोरा मोटर मार्ग क निर्माण करने, 4. नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़ में सीवर लाइन का निर्माण करने, 5. नैनी-सैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ का विस्तारीकरण कर वायु सेवा प्रारम्भ करने की व्यवस्था करने, 6. जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़, जिला महिला चिकित्सालय में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति करने, 7. पूर्व स्वीकृत अप्पूघर (बहुउद्देशीय पार्क) पिथौरागढ़ के निर्माण करने, 8. जनपद पिथौरागढ़ में रिक्त गोरखा राजाओं के किले को संरक्षित इमारत घोषित करने हेतु संस्तुति करने, 9. नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मोटर मार्गो को हाटमिक्स करने, 10. जाख-पुरान ग्राम समूह लिफ्ट पेयजल योजना पिथौरागढ़ का निर्माण करने।"
16.	श्री अजय भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नही किया है :- 1. रानीखेत से चौबटिया तक रज्जू मार्ग बनाने, 2. रानीखेत में क्रीड़ा स्थल का निर्माण करने, 3. रानीखेत में छात्राओं की बढ़ती हुयी संख्या को देखते हुए एक जी0जी0आई0सी0 बनाने,

...17/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4. रानीखेत नगर में पर्यटकों के वाहन पार्किंग हेतु टैक्सी स्टैण्ड बनाने, 5. रानीखेत को जिला बनाने, 6. मजखाली, जालली एवं मछोड़ को तहसील का दर्जा देने, 7. ताड़ीखेत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण करने, 8. खीरखेत एवं सूरी, बिल्लेख एवं बग्वान पर छोटे अस्पताल खोले जाने, 9. गनियाद्योली-पाण्डेकोटा-बिशालकोट सड़क का निर्माण करने, 10. ताड़ीखेत-पीपली-मजूरखान सड़क का निर्माण करने, 11. देवलीखेत-ड्योड़ाखाल-सिलोर महादेव सड़क का निर्माण करने, 12. बेड़गाँव-शीतलाखेत सड़क का निर्माण करने, 13. द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने, 14. चौबटिया-नागपानी सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने, 15. ताड़ीखेत-पथूली सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने, 16. ताड़ीखेत-जैना, ताड़ीखेत कोटाड सड़कों का कार्य प्रारम्भ करने, 17. ताड़ीखेत-ऊगी मण्डलकोट सड़क कार्य प्रारम्भ करने, 18. बिल्लेख-वापड़-भुजान सड़क की स्वीकृति प्रदान करने, 19. गगास से चिलियानौला पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने, 20. गगास से चमड़खान पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने, 21. कोसी-शेर पम्पिंग योजना का निर्माण करने, 22. कोसी-बिल्लेख पम्पिंग योजना का निर्माण करने, 23. हाईस्कूल मण्डल कोट के भवन का निर्माण करने, 24. हाईस्कूल बबूरखोला के भवन का निर्माण करने, 25. इण्टर कालेज रथुली-पीपल के भवन निर्माण करने, 26. अभ्याड़ी से रथुलीपीपल-कुम्पकोली सड़क का निर्माण करने, 27. भुजान-रीठी-बिल्लेख सड़क का डामरीकरण करने, 28. देवलीखेत से सौला तक सड़क का डामरीकरण करने, 29. काकड़ीघाट से शीतलाखेत तक सड़क का डामरीकरण करने, 30. काकड़ीघाट से चौना तक सड़क का डामरीकरण करने,

...18/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		31. चौबटिया-बमस्यूँ-कुनेलाखेत के शेष मार्ग को पूर्ण करने, 32. चौबटिया-कुनेलाखेत मार्ग का पाखुड़ा का डामरीकरण करने, 33. उप्राड़ी-सिलगी-टूनाकोट सड़क का निर्माण करने, 34. पन्तकोटली-बलना तक सड़क का निर्माण करने, 35. खिरखेत से कारचूली तक के सड़क का निर्माण करने, 36. बन्द पड़ी सरस्वती वूलन मिल रानीखेत का पुनः संचालन करने, 37. को-आपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत को उत्तरांचल को सौंपने, 38. जू0हा0 स्कूल सालीखेत का उच्चीकरण करने, 39. प्रा0पा0 लछीना को कन्या जू0हा0 स्कूल तक उच्चीकरण करने, 40. छावनी परिषद् के सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनी बनाने, 41. रानीखेत के उ0प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम डिपो को ताड़ीखेत स्थानान्तरित करने, 42. रा0 कन्या हाईस्कूल ताड़ीखेत के भवन का निर्माण करने, 43. रा0 चिकित्सालय बासुलीसेरा में चिकित्सकों की व्यवस्था करने, 44. नागरिक चिकित्सालय रानीखेत में सर्जन एवं अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति करने, 45. रानीखेत-एरोड़-गगास सड़क का निर्माण करने, 46. नैनी-जाना-गगास सड़क का निर्माण करने, 47. उत्तरांचल में महिलाओं का जीवन स्तर उठाने, 48. उत्तरांचल के युवाओं को रोजगार देने, 49. गगास नदी के वनघट नामक स्थान पर पुल निर्माण करने, 50. रानीखेत को नगर पालिका बनाने।"
17.	काजी निजामुद्दीन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नही किया है :- 1. उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी की घोषणा करने,

...19/...

क्र.सं. प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप

2. उत्तरांचल राज्य के प्रमुख शहीद स्थल रामपुर तिराहे, जनपद मुजफ्फरनगर, उ0प्र0 को उत्तरांचल राज्य की सीमा का विस्तार करके उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने,
3. उर्दू एकेडमी की स्थापना करने,
4. उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा देने,
5. ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करने,
6. जनपद हरिद्वार में सावन माह में कावड़ियों के लिए वैकल्पिक मार्ग की घोषणा करने,
7. कस्बा मंगलौर में राजकीय कन्या इन्टर कालेज की स्थापना करने,
8. कस्बा मंगलौर में 50 शैय्या के अस्पताल की स्थापना करने,
9. कस्बा मंगलौर में परिवहन डिपो की स्थापना करने,
10. कस्बा मंगलौर में खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम, इन्डोर बैडमिन्टन कोर्ट एवं व्यायामशाला की स्थापना करने,
11. मंगलौर को फल पट्टी एवं मैंगो एक्सपोर्ट जोन घोषित करने,
12. उत्तरांचल राज्य की चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने के लिए गन्ना कमाण्ड एरिया के अनुसार राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने,
13. नारसन ब्लाक, जनपद हरिद्वार में गन्ना और गेहूं शोध केन्द्र खोलने,
14. गन्ना, धान, गेहू व अन्य कृषि उत्पादन जिनकी बिक्री सरकार के माध्यम से होती है, इन उत्पादनों की कीमत फसल बोने से पहले घोषित करने,
15. गन्ना किसानों का बकाया भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र कराये जाने,
16. गन्ना किसानों का बेसिक कोटे के अतिरिक्त बाण्ड कराए गए गन्ने को चीनी मिलों द्वारा खरीद सुनिश्चित करने,
17. जब तक वर्ष, 2002-2003 का पूरा गन्ना समाप्त न हो जाए तब तक उत्तरांचल राज्य की चीनी मिलों को चलाए रखने,

...20/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18. चीनी मिले एवं गन्ना सोसाइटियों द्वारा किसानों को बीज, खाद एवं कीटनाशक निःशुल्क उपलब्ध कराने, 19. चीनी मिलों एवं गन्ना सोसाइटियों द्वारा गन्ना क्षेत्र में नए मार्गो का निर्माण कराने एवं पुराने मार्गो की मरम्मत कराने, 20. दुधारू एवं कृषि के उपयोग होने वाले पशुओं का निःशुल्क उपचार एवं टीकाकरण करने, 21. अनूसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दुगुनी करने, 22. किसान, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन को दोगुना करने, 23. अनुसूचित जाति के लोगों के अस्थाई पट्टे पर लाभार्थियों को अस्थाई स्वामित्व प्रदान करने, 24. रुड़की को हैन्डीकाफ्ट एक्सपोर्ट जोन घोषित करने, 25. मंगलौर गुड़ मण्डी से व्यापारियों का पलायन रोकने के लिए और मण्डी के सुधार के लिए नई योजना की घोषणा करने।"
18.	श्री काशी सिंह ऐरी डा0 नारायण सिंह जन्तवाल श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. राज्य की स्थाई राजधानी का चयन एवं निर्माण करने, 2. राज्य में जमीनों की मनमानी खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत् विशेष प्रावधान लागू किये जाने, 3. मुजफ्फरनगर काण्ड के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में, 4. उत्तर प्रदेश के साथ परिसम्पत्तियों के बटवारे का निस्तारण निश्चित समयावधि के भीतर किये जाने, 5. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी अधिकारियों, शिक्षकों, एवं कर्मचारियों को अविलम्ब उत्तर प्रदेश वापस भेजे जाने,

...21/...

क्र.सं. प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप

6. प्रभावी रोजगार नीति बनाकर एक निश्चित अवधि के भीतर शिक्षित, प्रशिक्षित एवं अन्य बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने,
7. प्रदेश के मानव संसाधन के समुचित विकास एवं उपयोग हेतु एक कारगर शिक्षा नीति बनाये जाने,
8. उत्तरांचल राज्य की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुए कारगर औद्योगिक नीति बनाये जाने,
9. प्रदेश की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के मध्येनजर एक माइक्रोलेवल आधारित कारगर कृषि नीति बनाये जाने,
10. प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने के बकाया भुगतान सहित, न्यूनतम 100 एक सौ रुपया प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने,
11. बिन्दुखत्ता, बग्घा चव्वन, दमुवांढूंगा सहित सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,
12. कस्तूरी मृग विहार अस्कोट सहित विभिन्न वन्य जन्तु अभयारण्यों में सम्मिलित अनावश्यक क्षेत्र को अभयारण्यों से मुक्त किये जाने,
13. धारचूला-मुंस्यारी तहसीलों को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने,
14. राज्य बनने के पश्चात् नये जनपदों, तहसीलों, एवं विकास खण्डों के सृजन,
15. धारचूला, मुंस्यारी, डीडीहाट, जोशीमठ तहसीलों की भांति सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र के नौजवानों की सेना में भर्ती की योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण किये जाने,
16. आई0टी0पी0एल0 वीरभद्र-ऋषिकेश को राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत किये जाने एवं वी0आर0एस0 का विकल्प न अपनाने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा समायोजित किये जाने,
17. टिहरी बांध के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कारगर कार्यवाही किये जाने।"

...22/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
19.	श्री बलवीर सिंह नेगी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु पूर्व में घोषित योजनाओं के कियान्वयन तथा प्रभावी नीति बनाने,
2. राजस्व पुलिस की सेवा शर्तो में सुधार करने तथा उन्हें अधिक सुविधा व अधिकार देकर दूरस्थ ग्रामीण अंचल में कानून व्यवस्था ठीक करने,
3. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 कि0मी0 नवीन मोटर मार्ग निर्माण, 20 कि0मी0 डामरीकरण, 5 झूला पुल, 5 नवीन इण्टरमीडिएट, 5 नवीन हाईस्कूल, 5 स्वास्थ्य उप केन्द्रो की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिये जाने,
4. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मीसिस्टों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं के निराकरण किये जाने,
5. प्रदेश में प्रशिक्षित फार्मीसिस्टों, बी0एड0, वी0पी0एड0, सी0पी0एड0, डिप्लोमा इन्जीनियरों तथा अन्य प्रशिक्षित तथा उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के सेवायोजन हेतु प्रभावी कदम उठाने,
6. प्रदेश में समस्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने,
7. प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने,
8. जनपद टिहरी गढ़वाल में धमातोली, दोणी में मिनी स्टेडियम की स्थापना करने,
9. आपदा प्रबन्धन विभाग को सुव्यवस्थित कर दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने,
10. जनपद टिहरी गढ़वाल के गोना एवं बूढ़ाकेदार क्षेत्र में दैवी आपदा से प्रभावितों का पुनर्वास करने,

...23/..

क्र.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

11. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में दैविक आपदा से क्षतिग्रस्त बासर नहर, पुण्डारा नहर, लुवा नहर, दुरानी नहर, भइकोट नहर, मांफल नहर, डोखर नहर, श्रीकोटर गांव नहर, खबाड़ा नहर, सिरवाणी नहर, अगुण्डा नहर, भिगुन नहर, मैल्डगांव दला नहर, देवला नहर, जखाणा नहर, उखन्द्रा नहर, वानी नहर निवालगांव नहर, पोखर नहर, डांगभद्री नहर, कण्डारस्यूं नहर, जखेड़गांव नहर, पदोखा नहर, थाति नहर, जखाली नहर, सिल्यारा नहर, थामा नहर, केमरा नहर, खोला नहर, अन्दरिया नहर, असेना नहर, पौनाड़ा नहर, भट्ट गांव नहर छतियारा नहर, घटवाड़ा नहर, केवला नहर चकचोंड नहर आदि 52 क्षतिग्रस्त नहरों का पुर्ननिर्माण करने,

12. टिहरी बांध प्रभावितों के प्रत्येक परिवार को रोजगार व पुनर्वास करने तथा प्रत्येक अववस्क को पूर्ण परिवार का दर्जा देने,

13. जनपद टिहरी गढ़वाल के कोट विशन, पटागली, चौपीखाल, घनसाली बहेड़ा, मगरों आदि हाईस्कूलों का इण्टरमीडिएट तक उच्चीकरण करने तथा जू0 हा0 स्कूल-केपार्स, कठैती, पाख तल्याउन फलेण्डा, रगड़ी, जसपुर का हाईस्कूल तक उच्चीकरण करने,

14. जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में घनसाली-अखोड़ी-मूलगढ़ मोटर मार्ग, घनसाली-घुत्तु-देवलंग मोटर मार्ग, चमियाला-कोटलगांव-लम्ब गांव मोटर मार्ग, मूलगढ़-थाती मोटर मार्ग, घनसाली-बूढ़ाकेदार झाला मोटर मार्ग, विनकखाल मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण व डामरीकरण करने,

15. जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी परिवारों को टिहरी बांध से मुफ्त बिजली देने,

16. शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र को नियमित करने,

17. पर्यटन विकास के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-घनसाली में स्थित धार्मिक व पर्यटक स्थलों-बूढ़ाकेदार, घुत्तु मासरताल, जरालताल, मज्याड़ताल, लम्बताल, लिंग ताल, मासू ताल, सहस्त्रताल, क्यारखी बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, झल्ला, वेलक खतलिंग गंगी, पिन्सवाड़, विशोल पर्वत, जगदीशिला, रतकोट मासरताल, वालासुन्दरी, देलेश्वर, दूधधारी, ज्वालामुखी, राजराजेश्वरी, हटकुणी, तिनगढ़िया, रानीगढ़ को चिन्हित कर विकसित करने,

18. गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने,
19. होमगार्ड के वेतन में प्रतिदिन 50/- रूपये की वृद्धि करने,
20. उ0प्र0 के विकल्पधारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर उ0प्र0 भेजे जाने तथा उनकी जगह पर शिक्षित-प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति दिये जाने,
21. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के वाटघाट के घायलों/पीड़ितों व प्रमुख आन्दोलनकारियों को विशेष मुआवजा व सम्मान दिये जाने,
22. प्रदेश के अंशकालिक पी0टी0सी0 कार्यकर्ताओं को नियमित किये जाने,
23. फलोत्पादन बीमा लागू करने,
24. जनपद-टिहरी गढ़वाल के दूरस्थ स्थान-बूढ़ाकेदार विनकखाल, दयूड़ा घनसाली, भटगांव, के पास एडी, पणबुरी, सरस्वती सैण, स्यूरी, पिन्सवाड़ गंगी, गैंवाली, पट्ठगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त संख्या में खोले जाने,
25. जनपद-टिहरी गढ़वाल के वुरेरना बालगंगा होलाणाखाल, पौखाल में विकास खण्ड खोले जाने,
26. टिहरी बांध के कारण जनपद टिहरी गढ़वाल का भूगोल परिवर्तित होने के कारण घनसाली तहसील को पृथक कर पूर्ण जिला घोषित करने,
27. जनपद-टिहरी गढ़वाल के धर्मगंगा में कोटी अगुण्डा के बीच झूला पुल बनवाने तथा बाल गंगा नदी पर पढोखा व भिलंगना नदी पर देवलंग व मेण्डू के बीच झूला पुल निर्माण की स्वीकृति दिये जाने तथा पंगेठी में झूला पुल का निर्माण किये जाने,
28. जनपद टिहरी गढ़वाल के विनकखाल में इंजिनियरिंग कालेज खोलने,
29. जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान अखोड़ी के महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
30. भिलंगना विकास खण्ड में फलपट्टी योजना बनाये जाने,
31. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को विकास कार्यो हेतु शिथिल किये जाने,
32. जनपद-टिहरी गढ़वाल के ग्राम सरकण्डा में लिफ्ट पेयजल योजना को स्वीकृत किए जाने,
33. भटगांव-लोढ़सा, आर्स पेयजल योजना में पेयजल आपूर्ति किये जाने,

...25/...

34. रीह से गंगी, लाटा से चूलागढ़, बूढ़ाकेदार से ज्वालामुखी, जगढीगाड़ से जग्दीसिला, दल्ला से किमुण्डखाल की यातायात व्यवस्था हेतु रज्जूमार्ग लगाए जाने,

35. बूढ़ाकेदार में चीड़ की पत्तियों पर आधारित कोयला तथा गत्ता उद्योग लगाये जाने,

36. मूलगढ़-ढेला-गण्डाराखाल मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण किए जाने,

37. बूढ़ाकेदार, विनकखाल, जग्दीशिला में स्टेट बैंक की शाखा खोले जाने,

38. पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने"।